<u>अनुबंध 1</u>

(एजेंसी बैंक के शाखा के लेटरहेड पर)

संदर्भ सं.
दिनांक :
(निवेशक का नाम और पता)
श्री /श्रीमती /कुमारी

____

____

____

महोदया /महोदय

8% बचत बांड योजना 2003 - (करेतर) का पुनर्भुगतान

हम सूचित करते हैं कि आपके द्वारा उपर्युक्त योजना में किया गया निवेश परिपक्वता पर चुकौती के लिए देय है /हैं :

बीएलए सं.	निवेश की तारीख	परिपक्वता की तारीख	मूल राशि	ब्याज	कुल राशि
कुल जोड़					

2. सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के विनियम 24 के अनुसार यदि निवेश्क द्वारा बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत किए जा चुके है तब उक्त निवेश स्वत: उन्माचित होंगे तथा आपके, बैंक खाते में परिपक्व तारीख को राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड से जमा कर दी जाएगी । पुनर्भुगतान हेतु अलग से आवेदन/उन्मोचन तथा मूल धारिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

3. वे निवेशक जिन्हेने बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं केए है उनसे अनुरोध है कि वे संलग्न अधिदेश फॉर्म के अनुसार ब्यौरे विधिवत भरकर तथा जहाँ भी आवश्यक हो संबंधित बैंक द्वारा प्रमाणित करवाकर, प्रस्तुत करें ।

4. यदि निवेशक द्वारा अधिदेश फॉर्म में बैंक ब्यौरे प्रस्तुत न किए गए हों तो वे अनुबंध 1ए को पूर्ण रुप से भरें और उसकी रसीद (बेबाकी) को राजस्व स्टेम्प की जगह पर उसे चिपकाकर भरा जाए और हमें वापस भेजें ताकि हम भुगतान आदेश जारी कर सकें ।

5. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार निवेशक को चाहिए कि पुनर्भुगतान की राशि रूपये एक लाख या अधिक हो तो वह अपने पैन/जीआईआर नंबर के विवरण प्रस्तुत करे (अथवा निवेशक के पास पैन/जीआईआर नंबर न हो तो वे फॉर्म सं. 60 में घोषण प्रस्तुत करे ।)

6. कृपया आप नोट करें कि निवेशक के पास परिक्वता के पश्चात ब्याज न हो अर्थात राशि परिपक्व होने की तारीख से और उसके पश्चात निवेशों पर ब्याज उपचित नहीं होगा ।

7. कृपया उक्त दस्तावेज / जानकारी को 20 दिन पहले ही प्रस्तुत करना नोट करें ताकि देय तारीख को ही चुकौती की जा सके ।

भवदीय,

हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)

अनुलग्नक: यथोक्त

अनुबंध 1ए

प्रेषक

____
____
____

प्रेषिती

शाखा प्रबंधक

____
____
____

महोदय,

8% बचत बांड योजना 2003 का पुर्नभुगतान

मैं /हम अनुरोध और अधिकृत करते हैं कि मैं /हमारे बीएलए के अंतर्गत 8% बचत बांड योजना 2003 में निम्नलिखित निवेश को कृपया भुगतान आदेश द्वारा अदा किया जाए :

बीएलए सं.	निवेश की तारीख	निवेश की गई राशि	परिपक्वता की तारीख	ब्याज	कुल राशि
कुल जोड़ :					

भवदीय

हस्ताक्षर
नाम

* मैं /हम चाहते हैं कि भुगतान आदेश को मेरे जोखिम और जिम्मेदारी पर डाक /कुरियर सर्विस द्वारा भेजा जाए और इसे मेरे /हमारे अनुपस्थिति में मेरे /हमारे आवास पर उपलब्ध किसी भी व्यक्ति को सुपुर्द किया जाए ।

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

रसीद

निम्नानुसार दिए गए ब्यौरे के अनुसार मेरे /हमारे बीएलए के अंतर्गत मूल राशि और उस पर उपचित ब्याज को जो 8% बचत बांड 2003 पर देय है को पदनामित बैंक शाखा का नाम) _____________ से ___________ रुपए (रुपए _________________ मात्र) प्राप्त किए ।

कुल सं.	नाम	आयकर पीएएन (यदि राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो तो)
i.		
ii.		
iii.		

स्थान : (रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षर)

तारीख :

अनुबंध 1बी

इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) मैनडेट फॉर्म

(जमा समाशोधन मैकेनिज़म के माध्यम से शोधन आय/ब्याज भुगतान प्राप्त करने के लिए निवेशक का विकल्प)

1. निवेशक का नाम :
2. क) बीएलए सं. :
   ख) पॅन/ जीआइआर सं. *
   ग) टेलीफ़ाटन नं./ मोबाइल नं. / ई मेल आइडी :
3. बैंक खाते के विवरण
   क) बैंक का नाम :
   ख) शाखा का नाम
      पता
      टेलीफोन सं.
   ग) बैंक तथा शाखा की 9 अंकीय कूट संख्या :
   घ) खाते का प्रकार (बचत बैंक खाता, चालू अथवा नकदी जमा) (10/11/13 कूट संख्या के साथ)
   ङ) लेजर और लेजर फोलियो नंबर :
      एफ) खाता सं. (चेक बुक पर अंकित)

(बैंक की ओर से निम्नलिखित प्रमाणपत्र के बदले में, कृपया खाली निरस्त चेक अथवा चेक की फोटोकॉपी अथवा आपको बैंक द्वारा जारी बचत खाते की पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए संलग्न करें ।)

4) प्रभावी तारीख :

मैं एतदृद्वारा घोषणा करता हूं कि उक्त में दिए हुए विवरण सही और पूर्ण हैं । परन्तु अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण भुगतान प्रभावी न होने की स्थिति में मैं यूजर संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा । मैंने विकल्प पत्र पढ़ लिया है और योजना के अंतर्गत सहभागी के रुप में मुझसे अपेक्षित जिम्मेदारी निभाने के लिए सहमत हूं ।

( )
निवेशक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त में प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं।

बैंक की मोहर : ( )
बैंक के प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक के हस्ताक्षर

* एक लाख से अधिक परिपक्व राशि प्राप्त करनेवाले निवेशकों के लिए अनिवार्य ।

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आथिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं.एफ 4 (9) डब्ल्यूएंडएम/2003 दिनांक 21 मार्च 2003 के अनुसार जारी 8% प्रतिशत बचत बॉंड, 2003 (कर योग्य नहीं) दिनांक 21 अप्रैल 2009 से अदायगी हेतु परिपक्व हो जाएंगे । धारक ध्यान दें कि " परिपक्वता के बाद बांड पर ब्याज देय नहीं होगा "।

सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप विनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता राशि का भुगतान, जो बांड बही खाते (बीएलए) और स्टॉक प्रमाणपत्र (एससी) के रुप में धारित है, भुगतान आदेश द्वारा जिससे उसके बैंक खाते से संबंधित विवरण दिए गए हों अथवा किसी भी बैंक में जिसमें इलक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध है, धारक के खाते में जमा करने के द्वारा किया जाएगा। नियत तिथि को उपर्युक्त बांडों की वापसी अदायगी की सुविधा के लिए, बीएलए धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण निर्गम कार्यालयों को काफी पहले ही प्रस्तुत करें ताकि प्रतिभूति/अनुलग्नक 1-ए पर कोई उन्मोचन मूल्य अदा किए बिना नियत तिथि को बीएलए का स्वत: शोधन हो सके। अत: धारक नियत तिथि को परिपक्व मूल्य के स्वत: विमोचन के लिए अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

तथापि, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधि की प्रप्ति के लिए बैंक खाते से संबंधित विवरण/अधिदेश की अनुपस्थिति में वापसी अदायगी प्रतिभूति पर (एससी के मामले में) उन्मोचन मूल्य की प्राप्ति पर और अनुबंध 1-ए (बीएलए के मामले में) के अनुसार की जाएगी।

3. उन्मोचन मूल्य प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया का पूर्ण ब्यौरा भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय अथवा संबंधित एजेंसी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
अर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली- 110 001

24 मार्च 2009

उक्त दिनांक का परांकन सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच- 9385 /13.04.137/2007-08

प्रति निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. प्रधान विधि परामर्शदाता, विधि विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400 005।

2. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई फोर्ट और भायखला, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनन्तपुरम।

3. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, अतिरिक्त कार्यालय भवन, ईस्ट हाईकोर्ट रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 ।

4. प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 ।

5. महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 ।

(श्रीमती पी.एस. सबनीस)
सहायक प्रबंधक